न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम्, औरंगाबाद (बिहार)।

उपस्थित–मनीष कुमार जायसवाल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1760/2026 /79/26

रिसियप थाना कांड संख्या–146/2026

आदेश तिथि : 18.08.2026

अभिषेक कुमार रंजन एवं अन्य.....आवेदकगण।

वनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

18-08-2026 आवेदकगण 1. अभिषेक कुमार रंजन एवं 2. उज्ज्वल कुमार रंजन की ओर से रिसियप थाना कांड संख्या–146/2026 अंतर्गत धारा–303(2),317(2) बी0एन0एस0 में अपनी गिरफ्तारी के आशंका को देखते हुये अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है। पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक न्यायालय में उपस्थित हुए। अभियोजन का वाद है कि :–

सूचक मंटु पासवान, चौकीदार किसी अन्य थाना कांड में जप्त ट्रक संख्या– डब्लू0बी059सी0/9435 के निगरानी वास्ते प्रतिनियुक्त थे। दिनांक 01.07.2025 को समय 05.00 बजे दो नाबालिक बच्चे डबालू कुमार और कुणाल कुमार को जप्त ट्रक का बैट्री खोलते देखा। उपरोक्त दोनों नाबालिक बच्चों को पकड़ने के पश्चात् जप्त वाहन को देखने पर पता चला कि बैट्री खुला हुआ था। पूछने पर दोनों पकड़े गये किशोर ने बताया कि वह बैट्री उन लोगों ने अभिषेक को दे दिया है बदले में मो0 500–500/– रूपये देने की बात कही और बैट्री खोलने वास्ते रिंच भी अभिषेक कुमार ने अपने दुकान से दिया था। सूचक द्वारा इस संबंध में जब आवेदकगण के पिता से कहा तब उसके पिता एवं आवेदकगण ने उक्त बैट्री को थाना पर पहुँचा दिया। उक्त मामले के आलोक में रिसियप थाना कांड संख्या–146/2026 अंतर्गत धारा–303(2),317(2) बी0एन0एस0 दर्ज किया गया।

बचाव पक्ष द्वारा जमानत आवेदन संचालित कर कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष है तथा जैसा प्राथमिकी में कहा गया है, वैसी कोई घटना कारित नहीं की गई है। आवेदकगण के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय का अन्य वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी के फर्द बयान में चोरी की गई बैट्री का पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है जबकि जप्ती सूची सह प्रस्तुती सूची में बैट्री का पूर्ण विवरण है। ऐसी स्थिति में जप्त बैट्री को तथा कथित चोरी हुई बैट्री बताया जाना संदेहास्पद है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय के प्रत्येक शर्तों का पालन करने को तैयार हैं। अतः आवेदक/अभियुक्तों को किसी भी राशि के बंधपत्र पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

लगातार.....

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम्, औरंगाबाद (बिहार)।

उपस्थित–मनीष कुमार जायसवाल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1760/2026 /79/26

रिसियप थाना कांड संख्या–146/2026

आदेश तिथि : 18.08.2026

Contd-----
18-08-2026

राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कहा गया कि आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का है और वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

उभय पक्ष को सुना एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन रिसियप थाना कांड संख्या–146/2026 अंतर्गत धारा– 303(2),317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित है, जिसमें सूचक का यह आरोप है कि आवेदक अभियुक्तगण ने जप्त वाहन से चोरी के बैट्री को दो नाबालिक बच्चों से खरीद किया था। अभिलेख पर मौजूद वाद दैनिन्की के पैरा–13 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक अभियुक्तों को विवेचनाधिकारी के द्वारा बी0एन0एस0एस0 की धारा–35(3) का नोटिस हस्तगत कराया गया है अर्थात् विवेचनाधिकारी को वाद के अनुसंधान में आवेदक अभियुक्तों की आवश्यकता नहीं है। वाद दैनिन्की में आवेदक अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास अंकित नहीं है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी की स्थिति में या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में आदेश संसूचना की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदक/अभियुक्तों के आत्मसमर्पण किये जाने की दशा में बीस–बीस हजार रूपये के दो विश्वसनीय जमानतदारों एवं उतने ही धनराशि के बंधपत्र निष्पादित किये जाने पर संबंधित विद्वान न्यायालय की संतुष्टि पर धारा 438(2) दं0प्र0सं0 में दिये गये शर्तो के अधीन रहते हुए उपरोक्त आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम्,

औरंगाबाद।